फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

छाजूलाल बनाम भूरा वगै.

संख्या 56/2018

प्रा-पत्र धारा-212

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/9/21	...जस्थान सरकार राजस्व (गुप 1) विभाग ...श क्रमांक 4.12 (2) राज-1/2021 ...3-09-2021 की पालना में पत्रावली ...गांवो के संग अभियान 2021 में ...कोर्ट टहटडा ......में दिनांक 29/10/21 को पेश हो। पक्षकारो को कम्प नोटिस जारी हो।	
29/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प टहटडा में पेश हुई। पत्रावली में कोई निर्णय पारित नहीं होने से आग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 3/1/22 को पेश हो।	
3/1/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एंव वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकुलाय को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सुना गया। न्यायालय द्वारा के द्वारा पत्रावली एंव जवाब प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का सावधानी पूर्वक अवलोकन एंव वकुलाय के द्वारा की गई बहस का ध्यान पूर्वक मनन किये जाने पश्चात जमाबंदी संवत 2072-75 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एंव कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. 226/16 के पश्चिमी दिशा की ओर लगती हुई ख.नं. 149 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। उक्त खसरा नं० 149 मे अवैध रूप से	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा है तथा उक्त निर्माण की आड़ मे ही अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नं० 226/16 मे अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करना चाहता है। यदी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व की खाली भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया तो अप्रार्थीगण अपने उद्देश्यो मे सफल हो जायेगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। तथा प्रार्थी उक्त भूमि का स्वामी एव काबीज खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में एव सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रतित होता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं० 226/16 ग्राम टहटडा के सम्बंध मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के द्वारा पुर्व मे जारी आदेश दिनांक 8/10/18 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं० 226/16 स्थित ग्राम टहटडा तहसील बस्सी जिला जयपुर मे प्रार्थी के स्वामित्व कि भूमि मे ना तो कब्जा करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे ना ही बेदखल करे और ना ही कब्जे काश्त एव उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। उक्त कार्य ना तो स्वयं करे और [signature] उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

.... बनाम ....

संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	ना ही अन्य से करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 3/1/22 को सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	